

कार्यालय, महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, छठा तल, जवाहर भवन, लखनऊ
संख्या एम0ई0-3/इसेंटिव/2014/1755 लखनऊ: दिनांक: 16 जुलाई, 2014

आवश्यक सूचना

उच्च (चिकित्सा) शिक्षा के क्षेत्र में निजी निवेश को आकर्षित करने हेतु प्रोत्साहन योजना लागू किये जाने हेतु निर्गत शासनादेश संख्या 2179/71-2-2013-सा-29/2012 दिनांक 20 जून, 2013 में निहित निर्देशों के अनुपालन में उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित कमेटी द्वारा प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर प्रत्येक शुक्रवार पूर्वान्ह 11.30 बजे (शासकीय अवकाश को छोड़कर) समीक्षा बैठक का आयोजन किया जायेगा। जिसमें इसेंटिव योजना के अर्न्तगत प्राप्त आवेदन पत्रों पर आवेदक संस्थाओं के अध्यक्षों/सचिवों से वार्तापरान्त शीर्ष प्राथमिकताओं पर उनका निराकरण किया जायेगा।

(के0के0गुप्ता)
महानिदेशक।

संख्या एम0ई0-3/इसेंटिव/2014/1756-59 तददिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2
2. मेसर्स एम0एम0एडवरटाइजिंग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त सूचना को दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण, लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर तथा झांसी, दैनिक हिन्दुस्तान (हिन्दी) इलाहाबाद, वाराणसी, बरेली एवं अमर उजाला के आगरा, मुरादाबाद, अलीगढ़ तथा मेरठ एवं हिन्दुस्तान टाइम्स (अंग्रेजी) के लखनऊ तथा दिल्ली संस्करणों में दिनांक 17.7.2014 को सूक्ष्म अक्षरों, न्यूनतम स्थान एवं शासकीय दरों पर प्रकाशित करने का कष्ट करें। प्रकाशनोपरान्त प्रकाशित प्रतियों सहित बिल भुगतान हेतु इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।
3. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इसेंटिव योजना से सम्बन्धित विभिन्न विभागों के शासनादेशों को विभाग की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने का कष्ट करें।
4. आहरण वितरण अधिकारी, चिकित्सा शिक्षा।

(के0के0गुप्ता)
महानिदेशक।